रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1987/वैशाख 24, 1909
No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1987/VAISAKHA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 215/87—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 499(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक

है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 158 सीमाशुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1987 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की शर्त, (iii) में "निर्माण और आवास मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "ग्राम विकास विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 346/16/87-टीआरयू]

टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th May, 1987

NOTIFICATION

No. 215/87-CUSTOMS

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 158-Customs dated the 2nd April, 1987, namely :—

In condition (iii) of the said notification, for the words "Ministry of Works and Housing", the words "Department of Rural Development" shall be substituted.

[F. No. 346/16/87-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987